कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 27.10.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक,पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्री शुभम अग्रवाल , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में ₹25000/- का पुरस्कार घोषित गौ तस्कर वांछित अभियुक्त मुनव्वर पुत्र जलील निवासी अमवॉंमाफी थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र 50 वर्ष को ग्राम अमवा माफी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-28.09.2025 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान सफेद रंग की पिकअप को रोकने का इशारा किया गया तो पिकअप चालक द्वारा अचानक मिर्जापुर रोड़ की तरफ भागने लगा कि गोषपुर तिराहे से लगभग 400 मीटर आगे पिकअप वाहन चालक वाहन सहित पकड़ लिया गया। पिकअप वाहन में बैठा एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा कर कहीं भाग गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र दामोदर गुप्ता निवासी गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष बताया। पकड़े गए द्वारा बताया गया कि पिकअप वाहन में गोवंशीय जानवर लदे है। जिनको ग्राम अमवॉंमाफी का रहने वाला मुन्नवर के हाता से लोड कर वाहन स्वामी लीला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी कजांकपुरा कोनिया जनपद वाराणसी जिनके निर्देश पर हम लोग मिर्जापुर होते हुए विहार वध हेतु ले जाकर लतीफ मुखिया ग्राम चैनपुर थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार के पास पहुँचाया जाता है। इसके संबंध में धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। वाहन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में जरिये ई चालान एप के माध्यम से मौके पर सीज किया गया था।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल** , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 26.10.2025 समय रात्रि 22:05 बजें थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर गोमती देवी स्कूल ग्राम अमवामॉफी के पास 01 वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में थाना गोपीगंज पर पशु तस्करी के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 442/2025 धारा 3/5A/8 गौबध निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम का पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ₹25000/- का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त मुन्नवर पुत्र जलील निवासी अमवामॉफी थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने इरादे से तमंचे से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान अभियुक्त मुन्नवर पुत्र जलील के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। जहां घायल अभियुक्त की स्थिति सामान्य है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का यह कृत अन्तर्गत धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/25/27(1) आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ:-

पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु एकराय संगठित होकर घुम-घुम कर गोवंश को अपने घर पर इकट्ठा करते हैं जिसको बध हेतु बिहार/बंगाल भेजकर बेचकर अपने व अपने परिवार का खर्च चलाते है दिनांक 28.09.2025 को पिकअप पर आठ गाय व एक बैल गोवध हेतु बिहार भेज रहा था कि थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। जिसमें पिकअप चालक गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र दामोदर गुप्ता निवासी ग्राम गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली मौके से पकड़ा गया था।

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारशुदा पशु तस्कर का नाम व पता:-

1.मुन्नवर पुत्र जलील निवासी अमवामॉफी, गोपीगंज जनपद भदोही उम्र करीब 50 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का विवरण:-

1.सतीश कुमार निवासी मिर्जामुराद, मिर्जामुराद, गोमती (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

2.लतीफ मुखिया निवासी चैनपुर, चैनपुर, भभुआ, बिहार, भारत

3.वाहन स्वामी लीला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी मुगलसराय, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत 1. मबईखुर्द वार्ड न0 11

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र दामोदर गुप्ता निवासी ग्राम गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी:-

नाजायज तमंचा 12 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 442/2025 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 व 109(1) बीएनएस व 3/5/25/27(1) आयुध अधिनियम।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

टीम-1. प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार राय , उ0नि0 विनोद कुमार तिवारी, हे0का0 वीरेन्द्र भारती, का0 विष्णु सरोज एवं चालक हे0का0 रामविलास थाना गोपीगंज जनपद भदोही

टीम -2. नि0 श्याम बहादुर यादव प्रभारी स्वाट सर्विलांस, मु०आ० धीरेंद्र श्रीवास्तव, मु०आ० हरिकेश यादव, मु०आ० बृजेश सिंह सूर्यवंशी, मु०आ० नागेंद्र यादव, आ० हिमांशु सिंह, आ० सुनिल कनौजिया, आ० अहम सिंह, आ० सेराफुल हसन, आ० प्रत्यूष पाठक, आ00चा0 हरिओम प्रसाद एसओजी टीम, तथा हे0का0 राधेश्याम कुशवाहा, का0 गोपाल खरवार, का0 नीरज यादव, का राघवेंद्र कुशवाहा, का0 प्रिन्स भार्गव सर्विलांस सेल